रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122023-250682
CG-DL-E-15122023-250682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945
No. 712] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि 895(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 की प्रविष्टि के क्रम सं. 74 के टिप्पण सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"2. विद्यमान ईंट भट्टे, जो जिग-जैग प्रौद्योगिकी या उर्ध्वाकार साफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं या पाईप्ड प्राकृतिक गैस का निम्नलिखित अवधि के भीतर ईंटें बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं :

(क) गैर प्राप्ति नगरों के दस किलोमीटर व्यास के भीतर अवस्थित भट्टों की दशा में एक वर्ष अर्थात् 23.02.2023 से ; सिवाय उनके, जो दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र जिलों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा श्रेणीकृत अत्यधिक और बहुत प्रदूषित क्षेत्रों में अवस्थित हैं ;

(ख) अन्य भट्टों की दशा में एक वर्ष अर्थात् 23.02.2024 से :

परंतु उस दशा में, जहां वायु क्वालिटी प्रबंधन आयोग/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पृथक् रूप से अधिक कठोर सन्नियम/समय-सीमा जारी की है, ऐसे आदेश अभिभावी होंगे ।"

[फा.सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 414(अ), तारीख 5 जून, 2023 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2023

G.S.R. 895(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. Short title and commencement**.--** (1) These rules may be called the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, in entry at Sl. No. 74, for note no. 2, the following entry shall be substituted, namely: -

"2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use piped natural gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use piped natural gas as fuel in brick making within a period of :

(a) one year w.e.f. 23.02.2023 in case of kilns located within ten kilometers radius of non-attainment cities; except those located in million plus population cities, NCR districts, and critically & severally polluted areas as categorized by CPCB;

(b) one year w.e.f. 23.02.2024 in case of other kilns.

Provided that in case where Commission for Air Quality Management / Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board / Pollution Control Committee has separately issued more stringent Norms/ timelines, such orders shall prevail. "

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 414(E) dated the 05th June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.15 18:23:37 +05'30'